

उत्तराखण्ड शासन  
पशुपालन विभाग-1  
संख्या- 1244 /XV-1/2(6)/10  
देहरादून: दिनांक 30 नवम्बर, 2011

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से पशुपालन विभाग में संयुक्त निदेशक, वेतनमान ₹ 15600-39100 ग्रेड पे-7600 के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के आधार पर निम्न अधिकारियों को संयुक्त निदेशक वेतनमान ₹ 15600-39100 ग्रेड पे-7600 में पदोन्नत किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- | क्र०सं० | अधिकारी का नाम              |
|---------|-----------------------------|
| 1.      | डा० अनूप सिंह नेगी          |
| 2.      | डा० रामेश्वर सिंह यादव      |
| 3.      | डा० कृष्ण कुमार जोशी        |
| 4.      | डा० महिपत सिंह नयाल         |
| 5.      | डा० पूरन चन्द्र काण्डपाल    |
| 6.      | डा० प्रेम. कुमार            |
| 7.      | डा० राकेश कवि               |
| 8.      | डा० प्रेम शंकर यादव         |
| 9.      | डा० भुवन चन्द्र कर्नाटक     |
| 10.     | डा० अविनाश आनन्द            |
| 11.     | डा० लोकेश कुमार             |
| 12.     | डा० सन्दीप रावत             |
| 13.     | डा० राजेन्द्र कुमार वर्मा   |
| 14.     | डा० डी०सी० गुरुरानी         |
| 15.     | डा० प्रेम सागर भण्डारी      |
| 16.     | डा० नीरज कुमार सिंघल        |
| 17.     | डा० देवेन्द्र शर्मा         |
| 18.     | डा० गोपाल सिंह धामी         |
| 19.     | डा० आनन्द कुमार सच्चर       |
| 20.     | डा० सपना मिश्रा             |
| 21.     | डा० राकेश सिंह नेगी         |
| 22.     | डा० हरीश चन्द्र जोशी        |
| 23.     | डा० उदय शंकर                |
| 24.     | डा० सत्यस्वरूप              |
| 25.     | डा० प्रलयंकर नाथ            |
| 26.     | डा० प्रद्युम्न सिंह रावत    |
| 27.     | डा० रमेश सिंह नित्वाल       |
| 28.     | डा० भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी |

2. उपरोक्त अधिकारियों को नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक के पद पर एक वर्ष की परीक्षा अवधि में रखा जाता है तथा अग्रिम आदेश तक वे अपने वर्तमान पद का कार्य निर्वहन करते रहेंगे। उक्त अधिकारियों के पद स्थापना के आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।


3. उक्त पदोन्नति मा० उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या-45/एस०बी०/2011 विनोद प्रकाश नौटियाल एवं अन्य बनाम राज्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(अरुण कुमार ढौंडियाल)  
सचिव

संख्या- 1244 (1)/XV-1/2011 तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:
1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
  2. निदेशक, पशुपालन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
  3. समस्त अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।
  4. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।
  5. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
  6. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, रुड़की को राजकीय गजट में प्रकाशन हेतु।
  7. संबंधित अधिकारी।
  8. अनुभागीय पुरितका।

आज्ञा से,  
  
(जी०बी० ओली)  
संयुक्त सचिव